



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225933
CG-DL-E-16032021-225933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1132]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 1132]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

का.आ. 1220(अ).—मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 12.03.2021 के पत्र सं. 11/सीएम/2021(i) के तहत मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के दौरान आपातकालीन एवं आपदा तैयारी और अनुक्रियात्मक कारवाई तथा स्वास्थ्य परिचर्या के अन्य घटकों के लिए वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के तहत लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में से प्राप्त स्वास्थ्य अंश की आय से लोक लेखा में एकल गैर-व्यपगत निधि के रूप में “प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन)” का गठन करती है।

[फा. सं. 7/92/2020-एनएचएम-I]

विकास शील, संयुक्त सचिव(नीति)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health & Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2021

S.O. 1220(E).—In pursuance of the Cabinet decision, communicated vide Communication No. 11/CM/2021 (i) dated 12.03.2021 of Cabinet Secretariat, the Central Government hereby constitutes the “Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi (PMSSN)” as a single non-lapsable fund in the public account for the National Health Mission (NHM), Ayushman Bharat Health and Wellness Centres (AB-HWCs), Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY), emergency and disaster preparedness and response during health emergencies and other components of healthcare, from the proceeds of the share of health in the Health and Education Cess levied under Section 136 of Finance Act, 2007.

[F. No. 7/92/2020-NHM-I]

VIKAS SHEEL, Jt. Secy. (Policy)